न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 9 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 वागाराम पुत्र हमीरजी जाति मेघवाल नि. सनपूर तहसील व जिला सिरोही		1 राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता नारायणलाल कुम्हार
2. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरोही

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128, 129 भू–राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक 30.08.2024

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 18.12.2022 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी के सयुंक्त तथा कब्जा काश्त की आराजी मौजा मेर माण्डवाडा पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा भू अभिलेख निरीक्षण क्षैत्र मेरमाण्डवाडा तहसील सिरोही, जिला सिरोही में आयी हुई है, जिसकी विगत निम्न प्रकार है

क्र.स.	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1	675	0.1600 है0	बारानी–3
2	699	1.0500 है0	बारानी–3
कुल किता 2		कुल रकबा 1.2100 है0	

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के पडौस में अन्य खातेदारान की भूमि आयी हुई है। प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा पर पत्थर गढी की हुई नही होने से प्रार्थी के पडौसी खातेदारन् प्रार्थी की आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक मे रहते है प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी व फसल की सुरक्षा करने हेतु बाड करने जाने पर झगडा फसाद करते है, प्रार्थी की आराजी का सीमांकन नही होने से मौंक पर उपरोक्त समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी उक्त आराजी के खातेदार कृषक होते हुए भी अपनी आराजी की सुरक्षा नही कर पा रहे है। पडौसी खातेदार से हमेशा ही तनाव की स्थिति रहती है, इस कारण प्रार्थी की आराजी का सीमांकन किया जाकर पत्थर गढी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी ने अपनी आराजी के सीमाज्ञान हेतु अप्रार्थी को आवेदन किया था, लेकिन अप्रार्थी द्वारा आज तक प्रार्थी के आवेदन पर कोई सीमाज्ञान नही किया गया, इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण पैदा हुआ है। प्रार्थी सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु आवश्यक शुल्क भी अदा करने को तैयार है । अतः निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार

फरमाकर प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाए जाने के आदेश फरमावे । अन्य कोई राहत जो प्रार्थी के हित में न्यायोचित हो दिलाए जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थी द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ मौजा मेरमाण्डवाडा के जमाबंदी संवंत् 2070–2073 खाता संख्या 347 खसरा संख्या 675 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 699 रकबा 1.0500 हैक्टयेर, मौका फर्द दिनांक 11–02–2022 की प्रति का अवलोकन व मनन के पष्चात प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दष्टया सहमत होने से दिनांक 04–01–2024 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। उक्त नोटिस अप्रार्थी को तामील होने के पश्चात अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने जरिए क्रमांक/कोर्ट/2024/550 दिनांक 01–08–2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसे पत्रावली में दिनांक 30–08–2024 को शामिल पत्रावली की गई। प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थी स्टेट ने अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम मेरमाण्डवाडा तहसील सिरोही के खाता संख्या 347 के अनुसार खसरा नम्बर 675 रकबा 0.1600 है. व 699 रकबा 1.0500 है. कुल किता 2 रकबा 1. 2100 हैक्टेयर भूमि वागाराम पुत्र हमीरजी जाति मेघवाल निवासी सनपुर की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर तहसील आदेश क्रमांक / भू.अ. / सीमाज्ञान / 2021 / 2648 दिनांक 08.12.2021 की पालना में दिनांक 11. 02.2022 को प्रार्थी को ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा नम्बर 675 व 699 रकबा 1.2100 हैक्टेयर का सीमाज्ञान करवाया गया था, जिसकी मौका फर्द संलग्न है। प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है, नियनानुसार तत्थरगढी किया जाना उचित है।

विचारण प्रकरण में वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर इस न्यायालय में दिनांक 30.08.2024 को वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस करने से मेरे द्धारा अंतिम बहस सुनी गई।

हमने विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मेरमाण्डवाडा के जमाबंदी संवंत् 2070–2073 खाता संख्या 347 खसरा संख्या 675 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 699 रकबा 1.0500 हैक्टयेर, मौका फर्द दिनांक 11–02–2022 की प्रति का अवलोकन तथा वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार की उक्त बहस पर भी गंभीरता से मनन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मेरमाण्डवाडा के खाता संख्या 347 खसरा संख्या 675 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 699 रकबा 1.0500 हैक्टयेर में पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण/बेदखल करने की संभावना व खातेदारी भूमि में काश्त करने में विघ्न पैदा होने तथा भविष्य में और भी कानुनन परेशानी व अन्य समस्याए पैदा न हो इस हेतु नियमानुसार प्रार्थी से उक्त भूमि के सीमाज्ञान का निर्धारित फीस राजकोष मे जमा कराने के उपरान्त प्रार्थी के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने के लिये नायब तहसीलदार कालन्द्री की अध्यक्षता मे पटवारी मेरमाण्डवाडा व

रा0प्रा0पत्र सं. 09 / 2024
वागाराम बनाम स्टेट

भू.अ.नि. मेरमाण्डवाडा की कमेटी का गठन कर प्रार्थी के उक्त खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान / पत्थरगढी करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल षुमार होकर नम्बर से कम हो।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की मील मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही